

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजरव, भादरा  
(पीठरीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)  
पीठरीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उत्नवान


सत्यवान पुत्र रामचन्द्र जाति निवासी  
जाट निवासी धामला  
दावा बाबत :- 88 RTA व  
मुकदमा नम्बर :- 82/21  
निर्णय दिनांक :- 28.10.21

बनाम 1. रामचन्द्र पुत्र डाक्टर ग  
2. सुरेश पुत्र रामचन्द्र  
3. ओमिन्द्र पुत्री रामचन्द्र  
4. राजस्वान भरमा जाति TDR मादक निवासी धामला

वादी की ओर से वकील धर्मपाल बेरवाल की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील महवीर बेनिवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.10.21 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक्र 2 सीखरन देवराव म० 112/100/101 के मु० न० 11, के कितान 10, 11, 20, 21, 22 कुल 1.2650 है० मु० न० 14 कितान 111 कुल 0.1010 है०, चक्र 3 रघुभरस देवराव म० 118/120 के मु० न० 66 के कितान 21, 22 मु० न० 72 कितान 5 मु० न० 73 कितान 01, कुल 1.012 है०. जो मु० रास्ता 0.050 है० नदरी 0.9620 है० जो राजस्व रिपोर्ट में प्रतिवादी म० 1 के नाम लिखे में रखा प्रतिवादी रामचन्द्र जी वजाय वादी द्वारा प्रतिवादी म० 1 व 2 जो वडिस्ता धरावा के स्वामिन्त घोषित किया जाता है। मुंकि प्रतिवादी म० 3 ने अपना दंड हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण म० 1-2 के पक्ष में लगा कर शुब कर तिज है मरः लगा किये जये हिस्से व सम्प डूरी व भूमि बेरु के रदन है सो रदन मुकदमे के बाद उपरोक्तसम्प राजस्व रिपोर्ट उभार दिया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.10.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
शकुन्तला चौधरी  
(आर० ए० एस०)  
उपखण्ड अधिकारी भादरा  
हनुमागढ़